



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 28]

नई दिल्ली, जुलाई 7—जुलाई 13, 2019, शनिवार/आषाढ़ 16—आषाढ़ 22, 1941

No. 28]

NEW DELHI, JULY 7—JULY 13, 2019, SATURDAY/ASADHA 16—ASADHA 22, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2019

सा.का.नि.197.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक) भर्ती नियम, 2012 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

- संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक भर्ती नियम, 2018 है।
- ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर — पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि — भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

(न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय)

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2019

सा.का.नि.200.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पुनः अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, सवार हरकारा, समूह 'ग' पद भर्ती नियम 2002 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का विनियमित किया गया है, गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय में सवार हरकारा के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय, सवार हरकारा (समूह ग पद) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों में उपावद्ध अनुसूची में स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.— उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वास्तव, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए, आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सवार हरकारा	01* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसूचिवीय	स्तर. 2 (19900-63200 रु)	लागू नहीं होता	27 से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीम वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख केन्द्रीय कर्मचारी चयन आयोग

				द्वारा विज्ञापित की जाएगी। (अखिल भारतीय खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा भरे जाने के मामले में, यह 18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच होगी)
--	--	--	--	---

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक :-</p> <p>(i) मोटर साइकिल या ओटोरिक्षा के लिए एक विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति होना चाहिए।</p> <p>(ii) कम से कम दो वर्ष तक मोटर साइकिल या ओटोरिक्षा चलाने का अनुभव।</p> <p>(iii) मोटर साइकिल या ओटोरिक्षा का ज्ञान (पदधारी यान में मामूली दोपों को हटाने में समर्थ होना चाहिए)</p> <p>(iv) जिन क्षेत्र में संबंधित संगठन स्थित है, उस क्षेत्र की अंग्रेजी और हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं को पढ़ने की क्षमता।</p> <p>वांछनीय:-</p> <p>(i) 10 वी. कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।</p> <p>(ii) होमगार्ड या नागरिक सुरक्षा या स्वयं सेवक के रूप में अनुभव।</p> <p>टिप्पण.- अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष सीधी भर्ती द्वारा या पुनर्नियोजन	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा न मिलने पर सीधी भर्ती। सशस्त्र बलों कार्मिक: प्रतिनियुक्ति/पुनः रोजगार के लिए।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में मंत्र लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति / आमेलन	समूह 'ग' विभागीय/ प्रोन्नति समिति (पदोन्नति मामले पर)	लागू नहीं होता।

<p>न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय समूह "ग" के नियमित कर्मचारियों में से जो स्तंभ (7) में सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट अर्हता और अनुभव रखते हों जिनके ना हो सकने पर सवार हरकारा या समूह "ग" के सरकारी सेवक जो स्तंभ (7) में सीधी भर्ती के लिए अर्हता और अनुभव रखते हों।</p> <p>पूर्व सैनिक/मशख बलों कार्मिक के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनःनियोजन-</p> <p>मशख बल के कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित और अनुभव और विहित अहर्ताएँ हैं ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें मशख बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p> <p>टिप्पण - प्रतिनियुक्ति की अवधि जिनके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में उस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारण तय तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>विचार करने के लिए समूह "ग" विभागीय पुष्टि समिति:-</p> <p>(1) प्रधान कार्यालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - अध्यक्ष ;</p> <p>(2) प्रशासनिक अधिकारी, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - सदस्य;</p> <p>(3) निजी सचिव, मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - सदस्य</p>
--	---

[फा. सं. डीएफएमएम/38(1)/2018]

आर. के. सोनी, अवर सचिव

(DIRECTORATE OF FORENSIC SCIENCE SERVICES)

New Delhi, the 12th July, 2019

G.S.R. 200.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Bureau of Police Research and Development, Despatch Rider (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to have been done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Despatch Rider in the Directorate of Forensic Science Services, Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement. -**

- (1) These rules may be called the Directorate of Forensic Science Services, Despatch Rider (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix. -** The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification etc.** - The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matter connected thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualification.** - No person, -
 a) Who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;
 shall be eligible for appointment to the said post:
 Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of opinion that it is necessary to expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Despatch Rider	01* (2019) *subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 2. (Rs. 19900-63200)	Not applicable	Not exceeding 27 years. (Relaxable for Govt Servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) NOTE.- The crucial date for determining the age limit shall be advertised by Staff Selection Commission. (In case of post being filled up by all - India Open Competition, it would be between 18 year and 27 years.)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: 1. Possession of a valid driving license for motorcycles or autorikshaw. 2. Two years' experience in driving motorcycles or autorikshaw. 3. Knowledge of motorcycle or autorikshaw mechanism. (The incumbent should be able to remove minor defects in the vehicles.) 4. Ability to read english and hindi or regional languages of the area in which the concerned organisation is situated.	Not Applicable	Two years for direct recruits.	By deputation / absorption, failing which by direct recruitment. For Ex-servicemen Deputation /re-employment.

<p>Desirable: (i) A pass in the 10th Standard. (ii) Experience as home Guards or Civil defence Volunteers.</p> <p>Note:- The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission / competent authority in case of candidates belonging to Scheduled caste or Scheduled Tribe if at any stage of selection the Staff Selection Commission / competent authority is of opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>			
<p>In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.</p>	<p>If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.</p>	<p>Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.</p>	
(11)	(12)	(13)	
<p>Deputation/Absorption: From amongst regular Group 'C' employees in Directorate of Forensic Science Services possessing the qualification and experience specified for direct recruits in column (7) failing which from Despatch riders or Group 'C' Government Servants who possess the qualification and experience specified for direct recruits in column (7).</p> <p>For Ex-Servicemen: Deputation/ re-employment The armed forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and educational qualification specified for direct recruits shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed forces, thereafter they may be continued on the re-employment.</p> <p>Note .- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of application.</p>	<p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation cases:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Head of Office, Directorate of Forensic Science Services – Chairman; 2. Administrative Officer, Directorate of Forensic Science Services – Member; 3. Private Secretary to Chief Forensic Scientist, Directorate of Forensic Science Services – Member. 	<p>Not Applicable.</p>	